न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 76/2021
GCMS NO. : 2021/117

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. माणकराम पुत्र जीताराम 2. प्रेमाराम पुत्र मोहनराम जातियान बावरी, निवासीगण ग्राम कांवलिया खुर्द, जैतारण जिला ब्यावर।		1. पूनाराम पुत्र चन्द्राराम बावरी फौत के कायम मुकाम 1/1. दुर्गाराम पुत्र पूनाराम 1/2. पप्पुराम पुत्र पूनाराम 1/3. पारसराम पुत्र पूनाराम 1/4. ढगलाई पुत्री पूनाराम 1/5. मैनादेवी पुत्री पूनाराम 1/6. गेरकी पत्नी पूनाराम जातियान बावरी, निवासीगण ग्राम कांवलिया खुर्द, जैतारण जिला ब्यावर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायम करने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–18/06/2021

उपस्थितः–
1. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री के0पी0सिंह, श्री एम0एस0 पठान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

–:: निर्णय ::– **दिनाँक :–25/01/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कावलिया कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 709/1 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थीगण रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य का कोई हक, अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के चिपती ही पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का व लिए कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया में वाके आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 2.9299 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण पिछले कई वर्षो से अप्रार्थीगण की सहमति से उनकी खातेदारी भूमि से होकर ग्राम कावलियां खुर्द से ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

ग्यास, बस्सी, बलाड़ा जाने वाली गैर मुमकिन रास्ते से गुजरते है। इसी आवागमन के रास्ते को प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. दू ए बिन्दूओं में लाल रंग से दर्शाया गया है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 705 का भू-भाग है तथा इसी नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 709, 709/1 पर ट्रेक्टर, हल, बेल, गाड़ी, मवेशी लाते ले जाते है व खाद बीज, फसल लाने ले जाने के लिए एक मात्र रास्ता है, इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। मगर कुछ दिनों पूर्व अप्रार्थी पूनाराम का देहान्त होने के बाद दिनांक 13/06/2021 को उनके विधिक उत्तराधिकारियों ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 705 में से प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में आवागमन के रास्ता को अवरूद्ध कर दिया व अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने से साफ मना कर दिया। इस कारण से प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने, खाद-बीज, फसल की पैदावर, मवेशी, वाहन, ट्रेक्टर बेलगाडी इत्यादि लाने-जाने से महरूम होना पड़ रहा है। उक्त रास्ते के बाबत् प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को विधि अनुसार मुआवजा देने को तैयार हो गये, मगर अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण के इस एक मात्र आवागमन रास्ते से निकलने से साफ मना कर दिया। यदि अप्रार्थीगण द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण मौजूदा वक्त में बारिश के मौसम में अपनी भूमि में सावणू फसल बोने से वंचित हो जायेंगे, साथ ही हमेशा के लिए अपने खेतों में आने जाने से व काश्त करने से व काश्त के रुप में काम में आने वाले औजारों से महरूम हो जायेगे। जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुकशान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रुपयों/पैसों में भी नहीं आंका जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते को रेकर्ड में कायम करवाने हेतु खिलाफ अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 02 लैण्ड होल्डर होने व राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनसुार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क ए.बी.सी.डी. दू ए भू-भाग जो खसरा नम्बर 705 में से रास्ते की जमीन को अप्रार्थीगण सं. 1/1 से लगायत 1/6 की खातेदारी कृषि भूमि से कम किया जाकर प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का निर्णय/फैसला फरमावे व रास्ता दर्ज किये जाने वाली भूमि का बाद पैमाईश रकबा का मुआवजा तय फरमावे व प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर उसे अप्रार्थीगण को अदा फरमावे व प्रार्थीगण का उक्त रास्ता न्याय देश में तरमीम कर प्रार्थना-पत्र मंजूर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हुआ, जो शा.मि. है। प्रार्थीगण द्वारा जवाबबुल जवाब प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

गया, जो शा.मि. है। तहसीलदार, जैतारण एवं भू-अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई, जो शा.मि. है।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 709 व 709/1 स्थित होने के तथ्यों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 705 मौजा कांवलिया खुर्द में स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है। इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि राजस्व मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कांवलिया कलां, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 701, 702, 703, 704, 705, 705/1, 705/2, 706, 707 के सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि अप्रार्थीगण एवं उनके पंवार गौत्र बावरी जाति के पारिवारिक सदस्यों की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि रही है। कालान्तर में अप्रार्थीगण/जवाब देहन्दागण के पूर्वजों एवं अन्य हिस्सेदारों के बीच आपसी सझमाईश से हुये बंटवाड़े के अनुसार खसरा नम्बर 705 की भूमि अप्रार्थीगण के हिस्से में रही तथा शेष खसरा नम्बर 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707 की भूमि अप्रार्थीगण/जवाब देहन्दागण के पारिवारीक पंवार गौत्र बावरी जाति के दीगर सदस्यों की खातेदारी भूमि रही है। जिसका सम्पूर्ण मौका स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कांवलिया कलां, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 697, 698, 700, 708, 709, 709/1, 711, 712, 713, 714 की भूमि डाबी गौत्र बावरी जाति के प्रार्थीगण सहित उनके पारिवारीक सदस्यों की खातेदारी भूमि रही है। जिसका भी नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है। अप्रार्थीगण एवं उनके पंवार गौत्र बावरी जाति की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707 भूमि के पूर्वी उत्तरी तरफ स्थित खसरा नम्बर 697, 698, 700, 708, 709, 709/1, 711, 708 की भूमि से होते हुये आम रास्ता चलता है जो खसरा नम्बर 691 से होकर आगे खसरा नम्बर 708 तक जाता है। उक्त रास्ता मौके पर वक्त सेटलमेन्ट के समय से चलता आ रहा है एवं इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य पड़ौसी खातेदार भी अपनी-अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है। उक्त रास्ता मौके पर वक्त सेटलमेन्ट के समय से बतौर आवागमन के चल रहा है। जिसकी मौका स्थिति के फोटोग्राफ, पैन ड्राईव एवं नजरी नक्शा इस जवाब के साथ पेश है। जिससे साबित है कि मौके पर प्रार्थीगण एवं उनके पारिवारीक डाबी गौत्र बावरी जाति के खेतों एवं अप्रार्थीगण व उनके पारिवारीक पंवार गौत्र बावरी जाति के खेतों के बीच रास्ता चल रहा है, जो आम रास्ता सती माता जी के स्थान की ओर से जाने वाले रास्ते से होकर खसरा नम्बर 691 की भूमि से होते हुये आगे खसरा नम्बर 698 व 700 के पश्चिमी तरफ होते हुये खसरा नम्बर 708 तक जाता है जो मौके पर सेटलमेन्ट के समय से चल रहा है। इस प्रकार से इस पद में प्रार्थीगण के कथनानुसार मौके पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पश्चिमी तरफ खसरा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

नम्बर 583 गै.मु. रास्ता नहीं होकर के गै.मु. गोवा रकबा 8.3932 हैक्टेयर की भूमि है। जो मौके पर भी गै.मु. गोवा के रूप में होकर बारिश का पानी बहने के काम आती है एवं रास्ते के रूप में काम में नहीं आती है। इस प्रकार से गै.मु. गोवा की किस्म गै.मु. रास्ता नहीं हो सकती है। साथ ही इस पद में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि से होकर आज दिन तक कभी भी आवागमन नहीं किया है न ही बस्सी व बलाड़ा का कोई रास्ता मौके पर स्थित है। प्रार्थीगण ने अपनी ओर से मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 705 व उसके पास अन्य खसरा नंम्बर 704, 706, 707 के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 587, 935 की भूमि होना गलत बताया है। वास्तविकता में आ.कालू की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 935 अणदाराम वगैराह जातियान माली की बारानी दोयम की खातेदारी भूमि है। इसी प्रकार सरहद कांवलिया खुर्द स्थित खसरा नम्बर 587 की भूमि अणदाई मेघवाल वगैराह की बारानी अव्वल की खातेदारी भूमि है जिसे प्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि होना गलत बताया है। व अपनी ओर से मोका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के मार्क ए, बी, सी, डी से ए की भूमि को रास्ता की भूमि होना गलत बताया है। जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 705 में प्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता सेट्लमेन्ट से लगायत आज दिन तक कभी भी नहीं रहा है। इसके बावजूद भी पीले रंग से प्रार्थीगण ने रास्ता होना गलत दर्शाया है। इस प्रकार से इस पद में प्रार्थीगण के कथानानुसार मौके पर कोई रास्ता न तो कभी रहा है न ही वर्तमान में है। बल्कि मौके पर संचालित रास्ता जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 705 से पूर्वी तरफ मौके पर चल रहा है। जिससे सम्बन्धित विस्तृत जवाब उपर दिया जा चुका है। प्रार्थीगण ने दिनांक 13.06.2021 को मौके पर रास्ते बाबत विवाद होने से सम्बन्धित जवाब देहन्दागण पर झूठे आरोप लगाये है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा अपने मनमर्जी से बनाते हुये जवाब देहन्दागण की खातेदारी भूमि में अपना 25 फुट चौड़ा रास्ता होना झूठा उल्लेखित किया है व दिनांक 13.06.2021 का उल्लेख करते हुये यह झूठी कार्यवाही पेश की है। इसलिये प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति होने एवं पक्षकारो के बीच रास्ते बाबत विवाद होने की कतई कोई सम्भवना नहीं है। इस प्रकार से मौके पर संचालित रास्ता जंवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 705 से पूर्वी तरफ मौके पर चल रहा है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के अप्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने जवाबबल जवाब पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द में प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 709, खसरा नम्बर 709/1 है जिस बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अतिरिक्त कथन आयत किये गये कि राजस्व मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कांवलिया खुर्द

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707 भूमि के पूर्वी उत्तरी तरफ स्थित खसरा नम्बर 697, 698, 700, 709, 709/1, 711, 708 की भूमि से होते हुए कोई आम रास्ता चलता है जबकि उपर्युक्त खसरान की भूमियों के मध्य राजस्व रेकर्ड में ऐसा कोई रास्ते का आलामात नहीं है तथा खसरा नम्बर खसरा नम्बर 701, 704, 705 एवं खसरा नम्बर 710, 711, 700 के आगे खसरा नम्बर 691 वन विभाग (फोरेस्ट) की भूमि है व वन विभाग की भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 690 में पुराना तालाब है जहां अधिकांश समय से पानी भरा रहता है। इस कारण से खसरा नम्बर 691 एवं खसरा नम्बर 690 में आवागमन करने का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है ना ही इस रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में वाहन, मवेशी व अन्य साधन लेकर आवागमन कर सकते है। अप्रार्थीगण ने इन भूमियों के मध्य जो रास्ता होना बताया है वहां पूर्णतया गलत एवं असत्य कथन है केवल खसरा नम्बर 705 में से प्रार्थीगण को रास्ते नहीं देने के नियत से अप्रार्थीगण मय गवाहन ने झूठे कथन किये है। अप्रार्थीगण ने जो रास्ता होने का उल्लेख किया गया है जिसकी दूरी करीबन 2600-2700 वर्गफिट से भूमि ज्यादा है जिसके आगे वन विभाग एवं तालब की भूमि है व तालाब के पाल की ऊंचाई करीबन 20 फिट से ज्यादा है वहां से प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि तक आवागमन करना नामुमकिन है क्योंकि खसरा नम्बर 701, 702, 703, 704, 710, 711, 700, 698 की खातेदारी भूमि का हिस्सा है जहां पर दोनों खसरान के मध्य मांठ पर खुटे रोपकर कांटों की बाड़ व तारबन्दी की हुई है इन खसरान की भूमि के मध्य से होकर रास्ता होने के कथन पूर्णतया असत्य है। साथ ही प्रार्थीगण के गवाह खसरान नम्बर 700 व 711 के खातेदार काश्तकार के द्वारा भी कोई रास्ता नहीं होने के स्पष्ट कथन किये है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने का सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 705 का भू-भाग है इस खसरा नम्बर 705 के चिपते ही ग्राम कांवलिया खुर्द, ग्यास, बलाड़ा का आम रास्ता है। उक्त तथ्यों के अलावा अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अतिरिक्त कथन पूर्णतया गलत एवं काल्पनिक है जिसे प्रार्थीगण नामंजूर करते है। अतः जवाबुल जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के जवाबुल जवाब में वर्णित तमाम तथ्य सही है।

तहसीलदार, जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/518 दिनांक 06/06/2022 द्वारा चाही गई थी। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट मय भू-अभिलेख निरीक्षक रास की मौका फर्द आदेश क्रमांक/भु0अ0/1575 दिनांक 15/06/2023 को पेश कर कथन किया [illegible] रास्ते संबंधी विकल्प निम्नानुसार है-

क्र.सं.	खसरा नम्बर	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	705	276	7.6	0.2097
	709	26	7.6	0.0198
	योग	302		0.2295
2	706	294	7.6	0.2234

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

3	707	256	7.6	0.1945
	709/1	82	7.6	0.0623
	योग	338		0.2568

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यक है। विकल्प नम्बर 2 निकटतम एवं न्यूनतम दूरी का है। निकटतम व न्यूनतम विकल्प व्यवहारिक है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि संलग्न नजरी नक्शे में प्रदर्शित है। जिसमें मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति प्रदर्शित की गई है। मौका फर्द जाँच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 709 व 709/1 के पास कोई रिकॉर्डेड रास्ता मौजूद नहीं है। उपरोक्त तीनों विकल्पों की भूमि मौके पर खाली पडी है। किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। उपरोक्त सभी खसरों की भूमि खातेदारी की भूमि है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निणर्यन निम्नानुसार है-

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कावलिया कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 709/1 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के चिपती ही पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कावलिया कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया में वाके आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 2.9299 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 709, 709/1 पर ट्रेक्टर, हल, बेल, गाड़ी, मवेशी लाते ले जाते है व खाद बीज, फसल लाने ले जाने के लिए एक मात्र रास्ता है, इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है।
2. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण एवं उनके पंवार गौत्र बावरी जाति की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707 भूमि के पूर्वी उत्तरी तरफ स्थित खसरा नम्बर 697, 698, 700, 708, 709, 709/1, 711, 708 की भूमि से होते हुये आम रास्ता चलता है जो खसरा नम्बर 691 से होकर आ[illegible]रा नम्बर 708 तक जाता है। उक्त रास्ता मौके पर वक्त सेटलमेन्ट के [illegible] से चलता आ रहा है एवं इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य पड़ौसी खातेदार भी अपनी-अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण ने अपने जवाबबुल जवाब में कथन किया कि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 701, 704, 705 एवं खसरा नम्बर 710, 711, 700 के आगे खसरा नम्बर 691 वन विभाग (फोरेस्ट) की भूमि है व वन विभाग की भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 690 में पुराना तालाब है जहां अधिकांश समय से पानी भरा रहता है। इस कारण से खसरा नम्बर 691 एवं खसरा नम्बर 690 में आवागमन करने का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है ना ही इस रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में वाहन, मवेशी व अन्य साधन लेकर आवागमन कर सकते है।

4. प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार जैतारण मय भू-अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 को तैयार एवं दिनांक 15.06.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट के निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यक है। विकल्प नम्बर 2 निकटतम एवं न्यूनतम दूरी का है। निकटतम व न्यूनतम विकल्प व्यवहारिक है। मौका फर्द जाँच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 709 व 709/1 के पास कोई रिकॉर्डेड रास्ता मौजूद नहीं है। उपरोक्त तीनों विकल्पों की भूमि मौके पर खाली पडी है। किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। उपरोक्त सभी खसरों की भूमि खातेदारी की भूमि है।

5. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-

(1) जहाँ

(क)-कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(i)- यह आवश्यकता आत्यांतिक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है;

(ii)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunder Bishnoi
Date: 2024.01.11 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत तक पहुँच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 709 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 709/1 रकबा 1. 2788 हैक्टेयर किस्म बारानी तक पहुँच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है, जो कि पत्रावली में उपलब्ध भू-नक्शा तथा तहसीलदार जैतारण की ओर से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुँच मार्ग की मांग नहीं की गई है। तहसीलदार जैतारण द्वारा जाँच प्रतिवेदन में तीन विकल्प प्रस्तावित किये है जिसमें से विकल्प 01 खसरा नम्बर 705 में से कुल क्षेत्रफल 0.2097 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 709 में से कुल क्षेत्रफल 0.0198 हैक्टेयर रास्ते के लिए दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार विकल्प नम्बर 03 में खसरा नम्बर 707 में से कुल क्षेत्रफल 0.1945 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 709/1 में से कुल क्षेत्रफल 0.0623 हैक्टेयर दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार विकल्प नम्बर 02 में खसरा नम्बर 294 में से कुल क्षेत्रफल 0.2234 हैक्टेयर दिया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विकल्प नम्बर 02 न्यूनतम विकल्प है, परन्तु विकल्प नम्बर 01 व 03 में प्रतिवादी के खसरा नम्बरान से न्यूनतम क्षेत्रफल लिया जाना सम्भव है। विकल्प नम्बर 01 व 03 में से कुल क्षेत्रफल में विकल्प नम्बर 01 न्यूनतम है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 16:50:03 IST
Reason: SelfAttested

7\. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 2,91,287/- रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 29.13 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 2,91,287/- रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 29.12 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 58.26 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये विकल्प संख्या 01 के लिए कुल मुआवजा राशि 1,33,800/- अक्षरे एक लाख तैतीस हजार आठ सौ रूपये मात्र एवं विकल्प संख्या 02 के लिए कुल मुआवजा राशि 1,30,200/- अक्षरे एक लाख तीस हजार दो सौ रूपये मात्र एवं विकल्प संख्या 03 के लिए कुल मुआवजा राशि 1,49,700/- अक्षरे एक लाख उनपचास हजार सात सौ रूपये मात्र जमा करवाया जाना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 की खसरा संख्या 705 भूमि एवं प्रार्थी संख्या 02 की आराजी खसरा संख्या 709 की खातेदारी आराजी में से होकर प्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 709/1 की सीमा तक पहुँच के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया की मौका रिपोर्ट में दर्शित विकल्प नम्बर 01 में प्रतिवादी की भूमि के साथ कुल क्षेत्रफल विकल्प नम्बर 02 व 03 से न्यूनतम है। अतः हम विकल्प नम्बर 01 का रास्ता दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। तहसीलदार रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में विकल्प नम्बर 01 खसरा नम्बर 705 क्षेत्रफल 0.2097 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 709 क्षेत्रफल 0.0198 हैक्टेयर हरी स्याही से अंकित मार्क ए,बी,सी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 302 मीटर लम्बा व 7.6 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाना है जिसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 1,33,800/- (अक्षरे एक लाख तैतीस हजार आठ रूपये मात्र) प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान को रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का कावलिया कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 709/1 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की [illegible] के लिये अभिलिखित रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या [illegible] बारानी दोयम भूमि में से मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 276 मीटर लम्बा व 7.6 मीटर चौड़ा एवं प्रार्थी संख्या 02 की आराजी खसरा संख्या 709 बारानी अव्वल भूमि में से मार्क बी से सी की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता जो 26 मीटर लम्बा व 7.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

6 मीटर चौड़ा रास्ता कुल रकबा 0.2295 हैक्टेयर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी संख्या 02 खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 705 एवं 709 में से कम किया गया कुल रकबा 0.2295 हैक्टेयर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,33,800/- (अक्षरे एक लाख तैतीस हजार आठ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 1,33,800/- रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित पक्षकार को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू-अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया द्वारा तैयार दिनांक 15.06.2023 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का एक भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 25/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.31 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested